

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,

फैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

policevaranasi

संख्या: पीआरओ 234/ 2020

दिनांक: सितम्बर, 30/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 30.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद वाराणसी में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना चौक व थाना कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया तथा थाना चौक का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।





प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वाराणसी के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर वाराणसी के आदेशानुसार दिनांक 30.09.2020 को थाना जंसा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 141/2020 धारा 363,366,504,506 आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्त शशी सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह निवासी म0नं0 जे 11/35-ए नाटी इमली नई बस्ती थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र 30 वर्ष को भाऊपुर तिराहे से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जंसा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- शशी सिंह पुत्र अजय कुमार सिंह निवासी ग्राम म0नं0 जे 11/35ए नाटी इमली नई बस्ती थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 आदित्य सिंह व उ0नि0 गौरव कुमार थाना जंसा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा दोहरे हत्याकाण्ड में प्रयुक्त वाहन व प्रयुक्त असलहा बरामद

दिनांक 28.08.2020 को चौकाघाट दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल अभियुक्तों विवेक सिंह कट्टा व हेमन्त सिंह द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बाद थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाया गया था।

दिनांक 24.09.2020 को प्र0नि0 जैतपुरा शशिभूषण राय द्वारा 06 दिवस पुलिस रिमाण्ड पर लाये गये अभियुक्त विवेक सिंह कट्टा पुत्र संजय सिंह निवासी लोहगाजर थाना जलालपुर जौनपुर की निशानदेही पर दिनांक 29.09.2020 को घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट गाड़ी बिना नम्बर जिसका इंजन न0 D13A- 0800 256 एवं चेचिस नं0 MBHCJCO35KG457731 व घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल 32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया।

दिनांक 29.09.2020 को उ0नि0 अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा 24 घण्टे पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाये गये अभियुक्त हेमन्त सिंह पुत्र विनोद सिंह निवासी सेमरी थाना बडागाँव जनपद वाराणसी की निशानदेही पर घटना के समय साथ में लिया हुआ 01 अदद कट्टा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

विवरण बरामदगी-

विवेक सिंह कट्टा की निशानदेही पर-

- 1- घटना में प्रयुक्त एक अदद गाड़ी स्विफ्ट बिना नम्बर की।
- 2- घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।

हेमन्त सिंह की निशानदेही पर-

- 1- घटना के समय साथ में लिया हुआ एक अदद कट्टा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस।

आपराधिक इतिहास-

1. *विवेक सिंह कट्टा पुत्र संजय सिंह निवासी लोहगाजर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर*

1	मु0अ0सं0 106/07	धारा 307 भादवि	थाना शिवपुर	वाराणसी
---	--------------------	----------------	-------------	---------

2	मु0अ0सं0 238/11	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	थाना बड़ागाँव	वाराणसी
3	मु0अ0सं0 236/11	धारा 307,504,506,102बी भादवि	थाना बड़ागाँव	वाराणसी
4	मु0अ0सं0 254/11	धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट	थाना बड़ागाँव	वाराणसी
5	मु0अ0सं0 436/13	धारा 147,148,323,504,506,352 भादवि	थाना कैन्ट	वाराणसी
6	मु0अ0सं0 40/14	धारा 110 जी सीआरपीसी	थाना जलालपुर	जौनपुर
7	मु0अ0सं0 460/15	धारा 3(1) गुण्डा एक्ट	थाना जलालपुर	जौनपुर
8	मु0अ0सं0 293/16	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	थाना कैन्ट	वाराणसी
9	मु0अ0सं0 1186/17	धारा 504,506 भादवि	थाना जलालपुर	जौनपुर
10	मु0अ0सं0 109/19	धारा 323,504,506 भादवि 3(1) द एएसी/एसटी एक्ट	थाना जलालपुर	जौनपुर
11	मु0अ0सं0 1496/19	धारा 120बी , 386,504,506 भादवि	थाना कैन्ट	वाराणसी
12	मु0अ0सं0 145/20	धारा 147/148/149/302/307/120बी/216ए भादवि व 3/35/27 आर्म्स एक्ट	थाना जैतपुरा	वाराणसी

2. *हेमन्त सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी ग्राम सेमरी थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी*

1	मु0अ0सं0 145/20	धारा 147/148/149/302/307/120बी/216ए भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ।	थाना जैतपुरा	वाराणसी
---	--------------------	--	-----------------	---------

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,

फैक्स-91-542-2501450,

ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

policevaranasi

संख्या: पीआरओ 237/ 2020

दिनांक: सितम्बर, 30/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 30-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चौकी सूजाबाद थाना रामनगर पर नियुक्त मु0आ0 ना0पु0 अयोध्या प्रसाद को पशु तस्करों से सांठ-गांठ रखने व पशु तस्करी में संलिप्तता के आरोप में निलम्बित किया गया तथा पर्यवेक्षण में शिथिलता के आरोप में निरीक्षक सतीश कुमार सिंह- तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना आदमपुर, निरीक्षक नरेश कुमार सिंह- प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर, उ0नि0 आशीष मिश्रा- थाना रामनगर व उ0नि0 रमेश यादव- तत्कालीन चौकी प्रभारी आदमपुर के विरूद्ध विभागीय जाँच का आदेश दिया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

संख्या: पीआरओ 238/ 2020

दिनांक: सितम्बर, 30/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 30-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 33 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *153 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2631 वाहनों का चालान, 19 वाहनों को सीज तथा 338 वाहनों से ₹0-2,71,800/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 30-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1860 व्यक्तियों से ₹0-1,00,200/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।